उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार–249404

संख्या : 60 / 02 / डी0आर0 / क्री0अधि0 / सेवा–02 / 2024–25 दिनांक : 20 जून, 2025

जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा–2025

विस्तृत विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड खेल विभाग के अन्तर्गत जिला क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जारी विज्ञापन संख्या : **A-1//DR(DSO)/S-2/2025**, दिनांक 28 मई, 2025 के 'अति महत्वपूर्ण निर्देश' के बिन्दु संख्या–8 तथा विज्ञापन के बिन्दु संख्या–13 के अनुक्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर लिंक दिनांक 23 जून, 2025 से 02 जुलाई, 2025 तक खोला जा रहा है। उक्त संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

(i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत (Edit/Correction) का लिंक खोला जाएगा।

(ii) Edit/Correction हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।

(iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवदेन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई–मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन कर पायेगें।

(iv) लॉग–इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में **(मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को छोड़कर)** आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेगें।

(v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवदेन पत्र में Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवदेन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।

(vi) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी / उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी / उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तो के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0 / उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है, जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नही पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन / त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(viii) अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधन / परिवर्तन का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि / दावे को संशोधित / परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।